न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वजवा
प्रकरण संख्या विविध 35/2024
कालूराम बनाम राज्य सरकार वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इस
	प्रा. पत्र 251 A RTA. 1955	
29/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 13/6/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
13/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 25/6/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
25/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रति को लिखित बहस की नकल दिलवाई गई। उनके द्वारा लिखित बहस का जवाब के लिये समय चाहा, वास्ते जवाब व अवलोकन हेतु दि. ता. 1-7-24 को पेश हो।	
1/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 8/7/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
8/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 11/07/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
11/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक [illegible] को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
15/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी सं. 1 के द्वारा जवाब व लिखित बहस पेश किया, पत्रावली का अवलोकन किया, तहसीलदार व पटवारी से प्राप्त नोटिस रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नियमानुसार जमा हो।	

उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:20:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :–विविध 35/2022
प्रकरण रज्जु दिनांकः– 6.6.2022
निर्णय दिनांक :–15.7.2024

प्रकरण का उनवान

1. कालूराम पुत्र रघनाथ
2. नाहरसिंह पुत्र रघुनाथ
3. बाबूलाल पुत्र रघुनाथ
4. रोहिताश पुत्र उमराव
5. शेरसिंह पुत्र उमराव
6. अमरसिंह पुत्र रामसिंह (विद्ध्रो प्रा.पत्र के कम में नाम विलोपित समझा जावे।)
7. रघुवीर पुत्र रामसिंह (विद्ध्रो प्रा.पत्र के कम में नाम विलोपित समझा जावे।)

समस्त जाति मीना निवासी कालेड तह.बसवा जिला–दौसा, राजस्थान

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. किरण देवी पत्नी प्रभुदयाल जाति मीना निवासी कालेड तहसील बसवा जिला–दौसा
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील बसवा जिला–दौसा
3. कमलेश पुत्री उमराव जाति मीना निवासी कालेड तह.बसवा
4. बसन्ती देवी पत्नी उमराव जाति मीना निवासी कालेड तह.बसवा
5. ललिता पुत्री उमराव जाति मीना निवासी कालेड तह.बसवा
6. सुनिता पुत्री उमराव जाति मीना निवासी कालेड तह.बसवा

(अप्रार्थीगण)

निर्णय

–: प्रा.पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 के तहत :–

दिनांक :– 15.7.2024

उपस्थिति :–1.प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट
श्री विरेन्द्र सिंह व तेजप्रकाश
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की
ओर से एडवोकेट श्री नवीन कुमार
3. अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की
ओर से एडवोकेट श्री मनोज मिश्रा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:20:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया कि रामा कालेड तहसील बसवा स्थित खाता संख्या नया 95 पुराना 93 आराजी खसरा नंबर 455/0.2 हैक्टयर, 455/1031/0.25 हैक्टयर, 903/0.55 हैक्टयर, 909/0.54 हैकटयर, 910/0.42 हैकटयर, 911 रकबा 0.70 हैक्टयर, 918/0.2 हैकटयर, 922/0.44 हैक्टयर कुल किता 9 कुल रकबा 0.94 हैक्टयर भूमि प्रार्थी संख्या 6 व 7 की रिकोर्डेड खातेदारी है । ग्राम कालेड के ही खाता संख्या नया 100 पुराना 101 खसरा नंबर 905/0.44 हैकटयर, 906/0.42 हैकटयर, 907/0.05 हैक्टयर,

उपखण्ड अधिकारी

0.03 है०

908/0.50 हैकटयर, 919/0.05 हैकटयर, 928/0.55 हैकटयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.99 हैक्टयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 5 की रिकोर्डेड खातेदारी है । जबकि भूमि काश्त खाता संख्या नया 106 पुराना 105 खसरा नंबर 914 रकबा 0.10 हैक्टयर, 915 रकबा 0.1 हैकटयर, 917 रकबा 0.90 हैक्टयर, 921 रकबा 0.20 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.21 हैक्टयर भूमि की अप्रार्थी संख्या 1 रिकोर्डेड खातेदार है । चरण संख्या 1 व 2 का साबिक खसरा नंबर 191/3 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा था जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 के उभय पूर्वज भौंरया पुत्र गोपाल की खातेदारी की भूमि थी । उभय पूर्वज भौंरया पुत्र गोपाल की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके वारिसान के हक में तकास्मा किये जाने से साबिक खसरा नंबर 191/3 से नये खसरा नंबर 191/3/1, 191/3/2, 191/3/3, 191/3/4 एव 191/3/5 कायम किये गये । प्रार्थीगण ने सजरा खानदार अंकित किया है । साबिक खसरा नंबर 191/3/3 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 914, 915, 917 एवं 921 बने हैं जो कि लक्खा पुत्र भौंरया की खातेदारी में दर्ज हुए हैं । उक्त वर्णित भूमि में आने जाने का रास्ता भौंरया पुत्र गोपाल मीना के जीवनकाल से ही चला आ रहा है, वह रास्ता खसरा नंबर 914 व 921 के रकबे से गुजरता हैजिसका उपयोग प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 बजमाने बुजुर्गान अरसे दराज से करते चले आ रहे हैं जिसका नजरी नक्शा संलग्न है जिसमें ए, बी, सी, डी, तथा ई, एफ, जी एवं एच में दर्शाया गया है जिसकी चौडाई 15 फिट है । जो कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 का एक मात्र रास्ता है, इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । साबिक खसरा नंबर 191/3/3 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि को खातेदार लक्खा पुत्र भौंरया द्वारा स्ट्रेंजर पर्सन अप्रार्थी संख्या 1 को विकय कर दी जिसके हाल खसरा नंबर 914, 915, 917 व 921 है जो कि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज हैं, रास्ता खसरा नंबर 914 व 921 में से होकर निकलता है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 बिना किसी अधिकार के आने जाने में व्यवधान व बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी वर्णित चरण संख्या 1 प्रा.पत्र में आने जाने व ट्रेक्टर तथा कृषि उपकरण लाने ले जाने में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण, खसरा नंबर 914 मार्का ए बी सी डी तथा खसरा नंबर 921 में होकर निकलने वाला रास्ता मार्का ई, एफ, जी, एच बैंरग सुर्ख 15 फिट चौडाई का रास्ते के रूप में दी जाने वाली भूमि की एवज में श्रीमान् के आदेशानुसार नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को भी प्रार्थीगण तैयार है । लिहाजा प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम कालेड तहसील बसवा स्थित खाता संख्या 95 पुराना 93 खसरा नंबर 455/0.2 हैक्टयर, 455/1031/0.25 हैक्टयर, 903/0.55 हैक्टयर, 909/0.54 हैक्टयर, 910/0.42 हैक्टयर, 911/0.70 हैक्टयर, 918/0.2 हैक्टयर, 922/0.44 हैक्टयर, कुल किता 8 कुल रकबा 0.94 हैक्टयर तथा खाता संख्या नया 100 पुराना 101 खसरा नंबर 905/0.44 हैक्टयर, 906/0.42 हैक्टयर, 907/0.05 हैक्टयर, 908/0.50 हैक्टयर, 919/0.03 हैक्टयर, 928/0.55 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.99 हैक्टयर भूमि में आने जाने, ट्रेक्टर व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये रास्ता 15 फिट चौडाई का खसरा नंबर 914 व 921 में से होकर मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित हरूफ ए बी सी डी व ई एफ जी एच बैंरग सुर्ख के मुताबिक धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञात कर दिलवाया जावे एवं बाद जमा राशि राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी नक्शा सीट आदि में प्रार्थीगण के हक में गै.मु.रास्ता इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार बसवा को पारित फरमाने की कृपा करें ।

प्रस्तुत प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट श्री नवीन गुर्जर उपस्थित आए । अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की ओर से सर्वप्रथम एडवोकेट श्री विरेन्द्र सिंह व तेजप्रकाश सैनी उपस्थित आए, किंतु बाद में उन्होंने अपनी पावर ड्रॉप कर ली, तत्पश्चात एडवोकेट श्री मनोज मिश्रा अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की ओर से उपस्थित आए ।

अप्रार्थी संख्या 1 किरण देवी की ओर से एक प्रा.पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रकरण में तहसीलदार बसवा से जांच मंगवाई जावे जिससे प्रकरण का सही एवं न्यायोचित निस्तारण संभव हो सके । अप्रार्थी सं. 1 का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसवा को प्रकरण के कम में जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:20:42 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें बिन्दु सं. 1 राजस्व रिकोर्ड से संबंधित होना, बिन्दु संख्या 2 स्वीकार होना, एवं बिन्दु संख्या 3 जिस तरह तहरीर किया गया उसे गलत व अस्वीकार होने का अंकन किया । बिन्दु संख्या 4 में अंकन किया कि मिन अप्रार्थीया द्वारा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

लक्खा से खरीदना तथा वर्तमान में मिन अप्रार्थीया का खातेदार होना सही है शेष कथन गलत है एवं अस्वीकार है । प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि रास्ते के लगती हुई है उसी में होकर प्रार्थीगण आते जाते हैं । प्रा.पत्र में वर्णित रास्ता ना तो मौके पर है ना ही रिकोर्ड में है । प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के तथ्यों को छिपाकर झूंठा प्रा.पत्र पेश किया है । प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित अपनी निजी खातेदारी भूमि का कथन किया है उनके लगते हुए प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि ओर भी है जो कि प्रा.पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि के लगते हुए था वह भूमि रास्ते के 2 तरफ से जुडी हुई है । वही से प्रार्थीगण अपनी समस्त आराजियात में आते जाते हैं । प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने का रास्ता कालेड डूंगरी के दक्षिण में डूंगरी के पास पास आता है । जो की घाटी दीपपुरा तक जा रहा है । उक्त रास्ता ग्रेवल रोड से जुडा है । जिसमें जवाब के साथ नक्शे में जेड मार्क से दर्शाया गया है । उक्त जेड मार्क रास्ता कालेड गांव को जा रही पुख्ता सडक से जुडा हुआ है । जिसे प्रार्थीगण ने सहखातेदारी भूमि अन्य भूमि जिसे प्रार्थीगण ने जानबूझकर न्यायालय से छिपाया है । उसे जवाब के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से एक्स मार्क से दर्शाया है तथा प्रा. पत्र के पैरा नंबर 2 में वर्णित आराजियात को जवाब दावे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में एक्स मार्क नीले रंग में दर्शाया है । लाल रंग एक्स मार्क से दर्शित भूमि खाता संख्या 30 के खसरा नंबर 886, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900 कुल किता 13 कुल रकबा 4.58 हैक्टयर भूमि कालेड में स्थित है । उक्त खाता संख्या 30 की भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता, प्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के दादा रूगनाथ पुत्र भौंरया के नाम दर्ज है । प्रार्थीगण संख्या 6 व 7 के स्वयं के नाम दर्ज भूमि है । उक्त एक्स मार्क से दर्शित भूमि खसरा नंबर 886 उसी रास्ते से जुडा है । यह कथन गलत है कि प्रार्थीगण के पास अप्रार्थी की भूमि में उसके द्वारा नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिन्दु संख्या 6 में अंकन किया कि पैरा नं. 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है । प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष बदेहान्तिपूर्वक झूंठा प्रा.पत्र महज इसलिए पेश किया है कि न्यायालय हाजा द्वारा दीगर प्रकरण किरण बनाम राजस्थान सरकार पत्थरगढी बाबत में निर्णय की पालना में व्यवधान कारित करना है । अतः प्रा. पत्र 251 ए राज.का.अधि. मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

प्रकरण में प्रार्थी संख्या 6 व 7 द्वारा दिनांक 14.7.2023 को इस आशय का प्रा.पत्र पेश किया कि मिन प्रार्थीगण द्वारा अपनी जिस आराजियात में आने जाने के लिये रास्ता मांगा है वह आराजियात मिन प्रार्थीगण एवं शेष प्रार्थीगण की अन्य सहखातेदारी भूमि से लगती हुई है जो कि 2 तरफ से रास्ते से जुडी है मिन प्रार्थीगण एवं अन्य प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने का रास्ता कालेड डूंगरी की दक्षिणी ओर डूंगरी के पास–पास आ रहा है जो कि घटी दीपपुरा तक जा रहा है जो मौके पर ग्रेवल से जुडा हुआ है । साथ ही अंकित किया कि मिन प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता एवं प्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के दादा रूगनाथ पुत्र भौंरया की सहखातेदारी भूमि खाता संख्या नया 30 के खसरा नंबर 886, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900 कुल किता 13 कुल रकबा 4.58 हैक्टयर वाके ग्राम कालेड में स्थित है प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 886 उसी रास्ते से जुडा हुआ है जिसमें आने जाने के लिये हमारे द्वारा प्रा.पत्र 251 ए पेश किया गया है इस कारण मिन प्रार्थीगण स्वयं की हद तक प्रार्थनापत्र धारा 251 ए विड्रो करना चाहते हैं विड्रा अनुमति प्रदान की जावे ।

प्रार्थना पत्र वास्ते विड्रो स्वीकार किया गया, अप्रार्थी संख्या 6 व 7 का नाम विड्रो करने की अनुमति प्रदान की गई ।

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 द्वारा प्रा.पत्र 251 ए का जवाब पेश किया गया । जिसमें उनके द्वारा सभी बिन्दुओं को स्वीकार किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:20:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा प्रा.पत्र 251 ए के समर्थन में लिखित बहस पेश की जिसमें उन्होंने अंकन किया कि खाता संख्या नया 95 पुराना 93 आराजी खसरा नंबर 455/0.2 हैक्टयर, 455/1031/0.25 हैक्टयर, 903/0.35 हैक्टयर, 909/0.54 हैकटयर, 910/0.42 हैकटयर, 911 रकबा 0.70 हैक्टयर, 918/0.2 हैकटयर, 922/0.44 हैक्टयर कुल किता 9 कुल रकबा 0.94 हैक्टयर भूमि रामा कालेड तहसील बसवा प्रार्थी संख्या 6 व 7 की रिकोर्डेड खातेदारी है । ग्राम कालेड के ही खाता संख्या नया 100 पुराना 101 खसरा नंबर 905/0.44 हैकटयर, 906/0.42 हैकटयर, 907/0.05 हैक्टयर, 908/0.50 हैकटयर, 919/0.05 हैकटयर, 928/0.55 हैकटयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.99 हैक्टयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 5 की एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की रिकोर्डेड खातेदारी है । भूमि काश्त खाता संख्या नया 106 पुराना 105 खसरा नंबर 914 रकबा 0.10 हैक्टयर, 915 रकबा 0.1 हैकटयर, 917 रकबा 0.90 हैक्टयर, 921 रकबा 0.20 हैक्टयर कुल किता 4

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

कुल रकबा 1.21 हैक्टयर भूमि की अप्रार्थी संख्या 1 रिकोर्डेड खातेदार है । इस चरण में वर्णित भूमि का साबिक खसरा नंबर 191/3/3 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा जो कि लक्खा पुत्र भौंरया की खातेदारी कब्जे काश्त में था जिसे लक्खा पुत्र भौंरया की खातेदारी कब्जे काश्त में था जिसे लक्खा पुत्र भौंरया द्वारा खसरा नंबर 191/3/3 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा ट्रेंजर पर्सन अप्रार्थी संख्या 1 किरण देवी पत्नी प्रभुदयाल को विकय कर दिये जाने से उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है । उपयोग प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 बजमाने बुजुर्गान अरसे दराज से करते चले आ रहे हैं जिसका नजरी नक्शा संलग्न है जिसमें ए, बी, सी, डी, तथा ई, एफ, जी एवं एच में दर्शाया गया है जिसकी चौडाई 15 फिट है । जो कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 का एक मात्र रास्ता है, इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । वकील प्रार्थी द्वारा उनके लिखित बहस में विनोद कुमार बनाम भूपराम व अन्य (2022 (2) डी.एन.जे (रेवेन्यू) 1142) का अंकन किया एवं साइटेशन प्रस्तुत की । साथ ही प्रार्थीसंख्या 6 व 7 की अप्रार्थी संख्या 1 के साथ दुरभी संधि के बिन्दु को भी अंकित किया एवं निवेदन किया कि मुताबिक धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञात कर दिलवाया जावे एवं बाद जमा राशि राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी नक्शा सीट आदि में प्रार्थीगण के हक में गै.मु.रास्ता इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार बसवा को पारित फरमाने की कृपा करें ।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा लिखित बहस का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं उनके द्वारा भी प्रकरण में प्रस्तुत जवाब के बिन्दओं का दोहरान किया ।

प्रकरण में मौका एवं राजस्व रिकोर्ड के कम में तहसीलदार बसवा से रिपोर्ट ली गई :–

1. पत्रांक पैरोकार सरकार/2023/133 दिनांक 22.2.2023 के संलग्न पटवारी हलका झाझीरामपुरा की रिपोर्ट न्यायालय हाजा को भिजवाई । जिसमें पटवारी हलका द्वारा अंकन किया कि उपरोक्त वाद में खसरा नंबर 914, 921 खातेदारी ग्राम कालेड जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता संख्या 106 श्रीमति किरण देवी पत्नी प्रभुदयाल जाति मीना सा.देह खातेदार रिकोर्ड दर्ज है । खसरा नंबर 914 रकबा 0.10 हैक्टयर मौके पर रास्ते के काम में लिया जा रहा है । एवं खसरा नंबर 921 रकबा 0.20 हैटयर में मौके पर सरसों की फसल बो रखी है । मौके पर कोई रास्ता नहीं है । रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में प्रेश है ।

रिपोर्ट अस्पष्ट होने के कारण पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई । जिसमें पटवारी हलका झाझीरामपुरा मय गिरदावर बसवा द्वारा निम्न प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत की :–

2. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय बसवा के प्रकरण संख्या 35/22 उनवान कालूराम बनाम किरण देवी में आवेदक खातेदार हेतु खसरा नंबर 919, 905, 906, 907, 908 व 928 किता 6 का मौका देखा गया आवेदक द्वारा उक्त खसरा नंबरों में पहुंच के लिये आराजी खसरा नंबर 914 व 921 से रास्ता चाहा है जो कि अन्य अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में है ।

खसरा नंबर 903, 910, 911, 918 व 922 प्रार्थी ने आवेदन में भी स्वयं की खातेदारी होना बताया है जो कि प्रार्थीगण के ही नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है । व खसरा नंबर 903, 910, 911, 918, व 922 से लगते हुए खाता संख्या 30 के खसरा नंबर 900, 897, 899, 898, 892, 891, 886, 887, 888, 890, 893, 894, 896, 895 किता 14 है जिनमें प्रार्थीगण सहखातेदार कास्तकार हैं । उक्त खसरा नंबर आराजी खसरा नंबर 889 से लगते हुए हैं जो कि मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है व नियमित रूप से चालू है तथा सार्वजनिक उपयोग में आ रही है । अतः खसरा नंबर 889 मौके पर ग्रेवल सडक से प्रार्थी के खसरा नंबर जिनके लिये रास्ता चाहा गया है, के बीच में प्रार्थी की या प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ही स्थित है । रिपोर्ट प्रस्तुत है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:20:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट जो की स्पष्टता के अभाव से ग्रसित थी साथ ही ग्रेवल सडक खसरा नंबर 889 से प्रार्थीगण/प्रार्थीगण सहखातेदारी से लगती हुई होने का स्पष्ट वर्णित कर रही थी । इसके उपरांत न्यायालय हाजा द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एवं प्रार्थीगण के सुखाधार को मद्धेनजर रखकर पत्रांक 771 दिनांक 25.7.2023 के द्वारा पुनः 2 बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तहसीलदार बसवा को निर्देश जारी किये गये । जिनमें से बिन्दु संख्या 1 में यह रिपोर्ट चाही गई कि क्या यह आवश्यकता आत्यांतिक है और यह जोत के लिये केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

साथ ही अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया है । एवं द्वितीय बिन्दु के मार्फत रिपोर्ट चाही गई कि क्या प्रा.पत्र 251 ए में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मुख्य रास्ते को जोडने का सबसे न्यनूतम एवं छोटा मार्ग है ? क्या इससे ओर लघु मार्ग के रूप में कोई वैकल्पिक मार्ग अथवा किसी अन्य के खातेदारी खे/राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है ।

तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./2023/3384 दिनांक 18.9.2023 के संलग्न पटवारी हलका झाझीरामपुरा एवं स्व हस्ताक्षरित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि :–

1. वाद में अंकित खसरे नंबर 455 रकबा 0.02 हैक्टयर, 455/1037 रकबा 0.25 हैक्टयर, 903 रकबा 0.55 हैक्टयर, 909 रकबा 0.54 हैक्टयर, 910 रकबा 0.42 हैक्टयर, 911 रकबा 0.70 हैक्टयर, 918 रकबा 0.02 हैक्टयर, 922 रकबा 0.44 हैक्टयर कुल किता 8 कूल रकबा 2.94 हैक्टयर अमरसिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/2 राहिन यू.को.बैंक शाखा बसवा रघुवीरसिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/2 राहिन यू.को.बैंक शाखा बसवा दर्ज रिकोर्ड है । इसी प्रकार खसरा नंबर 905 रकबा 0.44 हैक्टयर, 906 रकबा 0.42 हैक्टयर, 907 रकबा 0.05 हैक्टयर, 908 रकबा 0.50 हैक्टयर, 919 रकबा 0.03 हैक्टयर, 928 रकबा 0.55 हैक्टयर कुल किता 6 रकबा 1.99 हैक्टयर कमलेश पुत्री उमराव हिस्सा 1/24, कालूराम पुत्र रूगनाथ हिस्सा 1/4, नाहरसिंह पुत्र रूगनाथ हिस्सा 1/4, बसंती देवी पत्नी उमराव हिस्सा 1/24राहिन यूको बैंक शाखा बसवा बाबूलाल पुत्र रूगनाथ हिस्सा 1/4 राहिन यूको बैंक शाखा बसवा रोहिताश पुत्र उमराव हिस्सा 1/24 राहिन यू को बैंक शाखा बसवा ललीता पुत्री उमराव हिस्सा 1/24 शेरसिंह पुत्र उमराव राहिन यू को बैंक शाखा बसवा सनीता पुत्री उमराव हिस्सा 1/24 जाति मीना सा. देह खातेदार दर्ज रिकोर्ड है । उपरोक्त दोनों खातों में वादीगणों के नाम खातेदारी भूमि है ।

2. प्रार्थी वर्तमान में उपरोक्त खातेदारी में जाने के लिये ग्राम बसवा की भूमि में होते हुए खसरा नंबर 914 का उपयोग आवागमन में ले रहे हैं । जबकि वादियों की सहखातेदारी ग्राम कालेड की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 30 में अंकित खसरों से लगती हुई भूमि जिसमें खसरा नंबर 889, 883, 884 में मौके पर ग्रेवल सडक आवागमन के लिये काम में ली जा रही है । उपरोक्त ग्रेवल सडक वाले खसरे खाता संख्या 115 उगन्ती पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/21, कंचनलाल पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/21, छीतरया पुत्र फूल्या हिस्सा 1/3, प्रेमदेवी पत्नी हरनारायण हिस्सा 1/21, बाबूलाल पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/21, भगवानसहाय पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/21, भगवानसहाय पुत्र लक्खा हिस्सा 1/3, राहिन यूको बैंक शाखा बसवा रामखिलाडी पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/24 लक्ष्मीनारायण पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/21 के नाम खातेदारी दर्ज रिकोर्ड है ।

साथ ही इनके द्वारा इनकी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वाद में अंकित खसरों को जोडने के लिये सबसे नजदीक एवं सुविधाजनक रास्ता का प्रस्ताव नक्शा ट्रेस पर प्रस्तावित कर कलर पैन से अंकित किया प्रस्ताव निम्न खसरा नंबरों में होकर प्रस्तावित है :–

क.सं.	खसरा नं	कुल रकबा	रास्ते के लिये प्रस्तावित रकबा	खसरा में शेष रहा रकबा	विशेष विवरण
1	883	0.09	0.02	0.07	खसरा नंबर 921 में खाता संख्या 106 नोट संख्या 74 से दिनांक 7.6.2022, खसरा नंबर 914, 921 सभी काश्तकार पर माननीय न्यायालय उप जिला [illegible] बांदीकुई में टी.आई 24/[illegible]22 कालूराम वगै. बनाम किरण [illegible] रहन एवं कार्यालय [illegible]लदार बसवा के आदेश कमांक [illegible]/2022/7797–78 दिनांक 6.6.2022 की पालना में निर्माण न करें तारबंदी न करे का स्थगन नोट लगा हुआ है ।
2	884	0.15	0.0160	0.134	
3	889	0.25	0.09	0.16	
4	894	0.30	0.0250	0.2750	
5	897	0.38	0.0260	0.3540	
6	899	0.19	0.01	0.18	
7	921	0.20	0.01	0.19	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:20:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

तहसील बसवा की जांच रिपोर्ट के उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं मय पटवारी हलका के वर्णित भूमि का मौका मुयायना किया गया । मौका स्थिति के अनुसार यह तो सही है कि खसरा नंबर 914 ग्राम कालेड में आवागमन के साक्ष्य मौके पर मौजूद हैं, किंतु खसरा नंबर 884 एवं 889 में एक ग्रेवल सडक बनी हुई है, जिसमें सार्वजनिक आवागमन चालू हैं एवं यह ग्रेवल सडक आगामी ग्राम घाटीदीपपुरा तक जाना बताया । इस ग्रेवल सडक खसरा नंबर 889 के संलग्न खसरा नंबर 887, 888, 890, 893, 894, 896, 895, 886, 891, 892, 897 एवं 898 उक्त प्रार्थीगण में से संख्या 3, 6 एवं 7 की सहखातेदारी की भूमि हैं । उसके उपरांत इन सहखातेदारी के खसरा नंबर से लगते हुए प्रार्थी संख्या 6 व 7 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 911, 910, 909, 918 एवं 922 स्थित हैं, उक्त प्रार्थीगण यदि अपना तकास्मा करवाते हैं तो ये प्रार्थी रास्ते का अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ग्रेवल सडक खसरा नंबर 889 से जुडा हुआ होगा । भू.नक्शा साइट पर उक्त वर्णित खसरों की स्थिती का नक्शा निम्न प्रकार है :–

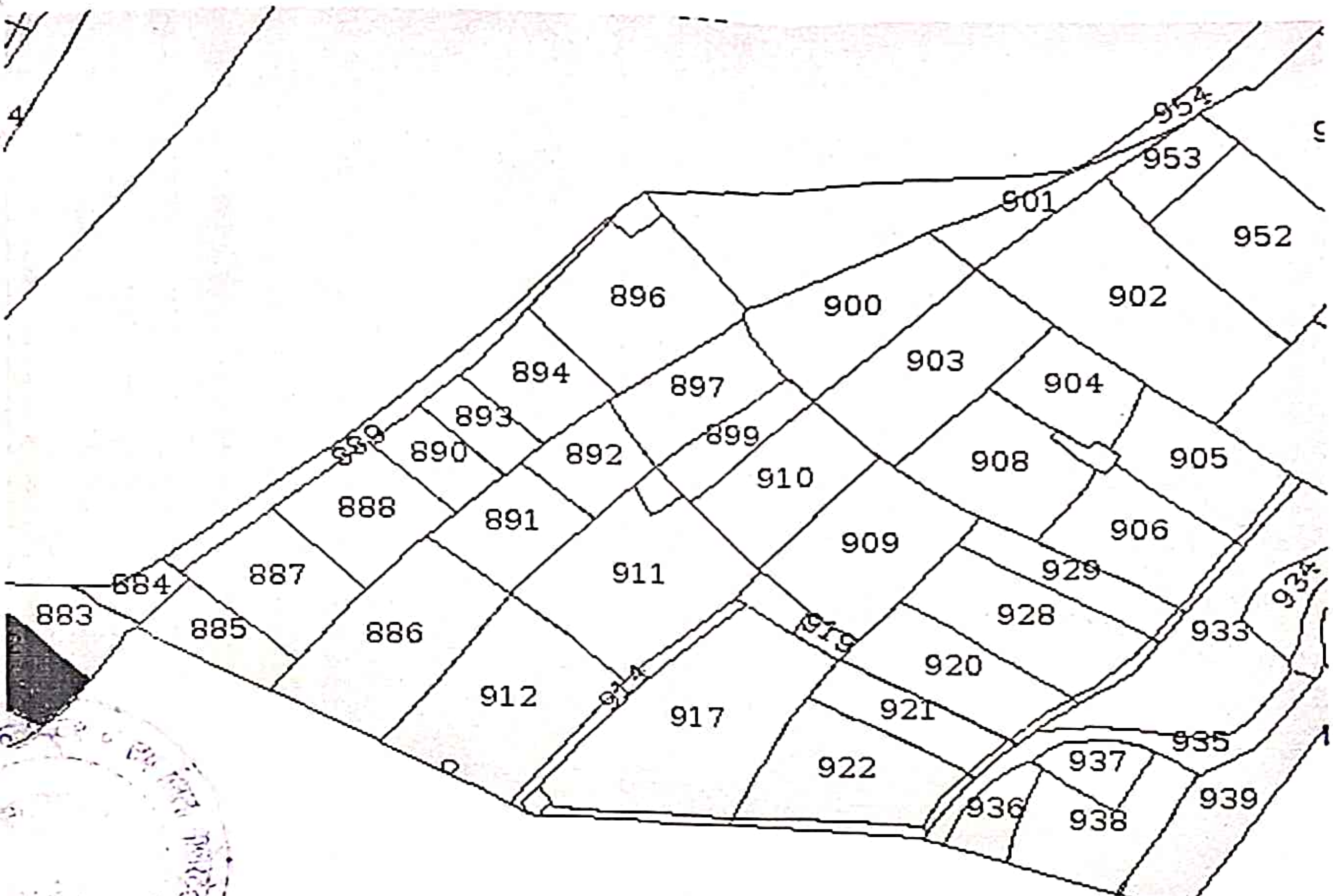

हम प्रकरण में निम्न तथ्य बखूबी पाते हैं :–

1. प्रार्थीगणों के लिये उनकी सहखातेदारी भूमि में से ही आवागमन हेतु ग्रेवल सडक खसरा नंबर 889 ग्राम कालेड से लगती हुई भूमि है, जिसमें से के आपसी समन्वय स्थापित कर अथवा तकास्मा करवाकर रास्ते का अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:40:42 IST
Reason: SelfAttested

2. तहसीलदार बसवा व पटवारी हलका झाडीसपुरा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के लिये सबसे निकटतम रास्ते के विकल्प के रूप में खसरा नंबर 883, 884, 885, 894, 897, 899, 921 ग्राम कालेड से रास्ता हेतु अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है ।

3. खसरा नंबर 922 ग्राम कालेड में जाने के लिये, खसरा नंबर 921 में से रास्ता चाहने का जो बिन्दु प्रार्थीगण द्वारा उठाया गया है, तो मौका स्थिति व रिकोर्ड अनुसार खसरा नंबर 921 से आगे प्रार्थी संख्या 6 व 7 का खातेदारी खेत खसरा नंबर 922 स्थित है, चूंकि उक्त प्रार्थीगण संख्या 6 व 7 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

प्रकरण से अपना पक्ष विड्रो कर लिया गया है, ऐसी दशा में खसरा नंबर 921 से रास्ता दिये जाने का अनुतोष भी स्वीकार्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन से जाहिर है कि प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये रास्ता खसरा नंबर 914 व 921 ग्राम कालेड में से दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

—: आदेश :—

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों में निहित बिन्दुओं की के अनुसार पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हों ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला-दौसा

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उपखण्ड मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:20:42 IST
Reason: SelfAttested